



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092022-238934
CG-DL-E-20092022-238934

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 633]
No. 633]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 714(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 299 (अ) तारीख 18 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव अमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 18 अप्रैल, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है के नियम 11 में,-

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) नियम 10 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के सात दिन के भीतर, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदक, पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित चालन संबंधी अनुशिक्षण या तो स्वयं आवेदक द्वारा उस पर पहुंच कर या सुविधा केन्द्र की सहायता से पूरा करेगा”;

(ख) उप-नियम (2) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ड) ईंधन दक्ष चालन तकनीक का ज्ञान और समझ होना;”

3. उक्त नियमों के नियम 14 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) चालन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्ररूप 4 में किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित होंगे -

(क) उस प्रकार के यान का जिससे आवेदन संबंधित है चलाने की कोई प्रभावी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति;

(ख) यथास्थिति, परीक्षण या पश्चात्पूर्वी परीक्षण नियम 32 में प्रत्येक वर्ग को चलाने के लिए और अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए यथाविनिर्दिष्ट समुचित फीस;

(ग) आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार चित्र;

(घ) नियम 6 में यथा-अन्यथा उपबंधित के सिवाय परिवहन यान चलाने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के मामले में प्ररूप 1 क में चिकित्सा प्रमाणपत्र;

(ड.) परिवहन यान चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के मामले में, उस स्कूल या स्थापन से जहां आवेदक ने अनुदेश यदि कोई हो, प्राप्त किए हैं, जारी किया गया प्ररूप 5 में चालन प्रमाणपत्र;

(च) निवास और आयु का सबूत;

(छ) नियम 31ड. के अनुसार प्ररूप 5ख में प्रत्यायन चालक प्रशिक्षण केन्द्र से प्रमाणपत्र”।

4. उक्त नियमों के नियम 31ग में “नवीकरण के लिए दिया जा सकेगा” शब्दों के पहले “आवेदन पर” के पश्चात् “एक बार में पांच वर्ष की अवधि के लिए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 31ज में.-

(क) उपनियम (1) में हल्के मोटर यान चालक से संबंधित खंड क के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“कक. दोपहिया चालन

अधिकतम 2 सप्ताह की अवधि में 20 सत्र है। इसे दो खंडों, विद्या और प्रयोग में कवर किया जाएगा।

विद्या: 7 सत्र

विद्या के विषय	सत्र
चालन विद्या	1
यातायात शिक्षा	1
आधारभूत यान इंजीनियरिंग	1
प्राथमिक उपचार और गोल्डन आवर	1
जनसंपर्क, सड़क शिष्टाचार और रोड रेज	1
दुर्घटनाओं के कारण और मामला अध्ययन	1
ईंधन दक्षता और प्रदूषण	1

प्रयोग 13 सत्र

विषय	सत्र
चालन रेंज में आधारभूत चालन अभ्यास	2
चालन रेंज में कौशल चालन अभ्यास	2
चालन रेंज में रात्रि चालन	1
लोक सड़क पर कम यातायात अभ्यास	2
लोक सड़क पर एकल लेन अभ्यास	1
दो लेन, लोक सड़क पर कोई डिवाइडर अभ्यास नहीं, यातायात सिग्नल और पैदल यात्री क्रॉसिंग होनी चाहिए	1

दो लेन, लोक सड़क पर कोई डिवाइडर अभ्यास नहीं, यातायात सिग्नल और पैदल यात्री क्रॉसिंग होनी चाहिए	1
किसी भी प्रकार के लेन पर डिवाइडर के साथ सड़क पर अभ्यास, परन्तु यातायात सिग्नल और पैदल यात्री क्रॉसिंग आवश्यक रूप से होनी चाहिए	1
स्टेपनी द्वारा पंचचर टायर का प्रतिस्थापन, मामूली मरम्मत और जाँच	2

1. चालन की विद्या	
1.	ऑटोमोबाइल और सड़कें, ऑटोमोबाइल के प्रकार
2.	दोपहिया यान सवार के लिए जोखिम
3.	पिछली सवारी के लिए जोखिम
4.	बच्चा/बच्चों के लिए जोखिम
5.	अन्य दोपहिया सवारों से आपसी जोखिम
6.	गलत दिशा/बीआरटी/हाई स्पीड लेन में गाड़ी चलाने का जोखिम
7.	बिना हेलमेट के दोपहिया यान चलाने में खतरा
8.	यान की जाँच: टायर, लाइट, सीट, ब्रेक, दस्तावेज़, ईंधन

2. यातायात शिक्षा	
1.	सड़क उपयोग के विनियम अर्थात् सड़क के नियम
2.	यातायात संकेत
3.	सड़क के संकेत और चिह्न
4.	पार्किंग सुरक्षा: साइड स्टैंड, मुख्य स्टैंड
5.	यातायात में शामिल होना और बाहर निकलना
6.	रुकना और ढलान पर जाना
7.	अन्य सड़क उपयोक्ताओं के लिए विचारण

3. आधारभूत यान इंजीनियरिंग	
1.	यान के पुर्जे
2.	वहन क्षमता: विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा सामग्री की ढुलाई क्यों नहीं।
3.	टैंकों में ईंधन सुरक्षा
4.	गियरलेस/क्लचलेस डिज़ाइन और गियर/क्लच डिज़ाइन
5.	यान का संतुलन
6.	हेडलाइट सेटिंग और बीम्स
7.	पश्च दृष्टि दर्पण: दृश्य क्षेत्र और दिखाई न देने वाला क्षेत्र
8.	आगे का ब्रेक, पीछे का ब्रेक, संयुक्त ब्रेक
9.	इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सूचना का उपयोग

4. प्राथमिक उपचार और गोल्डन आवर	
1.	जान हानि
2.	बिगड़ती स्थिति
3.	एम्बुलेंस बुलाना
4.	यान के नंबर नोट करना

5.	प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी
6.	रक्त स्राव को रोकना

5. जनसंपर्क, सड़क शिष्टाचार और रोड रेज	
1.	शांति रखना
2.	आक्रामक यान चालकों से सावधान रहना
3.	दूसरों को सिखाने की कोशिश ना करना
4.	भाषा पर नियंत्रण
5.	सॉरी शब्द का महत्व
6.	व्यसन और मद्यव्यसनिता

6. दुर्घटनाओं के कारण, केस स्टडी	
1.	जोखिम प्रोफाइल
2.	दुर्घटनाएं क्यों हो रहीं हैं
3.	यान वर्ग का हिस्सा
4.	आधारभूत रक्षात्मक तकनीकें
5.	गति नियंत्रण पर जोर

7. ईंधन दक्षता और प्रदूषण नियंत्रण	
1.	समय की मांग
2.	निष्क्रिय समय
3.	गियर का चयन
4.	समय पर सर्विसिंग

8. प्रयोग: चालन रेंज पर	
1.	बैठने की मुद्रा, हेलमेट, दस्तावेज
2.	समायोजन
3.	8 और प्रवणता
4.	दोपहिया, चौपहिया यानों के लिए लेन
5.	घुमाव
6.	रात्रि चालन
7.	यातायात में शामिल होना और यातायात से बाहर निकलना
8.	ब्रेक लगाने की तकनीक
9.	ब्रेक लगाने की स्थिरता
10.	पंचर टायर की मामूली मरम्मत, जांच और प्रतिस्थापन

9. लोक सड़कों पर प्रयोग	
1.	प्रेक्षण मिरर
2.	पीछे चलने की दूरी
3.	आवारा जानवरों पर नजर
4.	सुचारू रूप से ब्रेक लगाना
5.	एबीएस के साथ ब्रेक लगाना
6.	एबीएस के बिना ब्रेक लगाना
7.	रात्रि चालन
8.	सड़क की स्थिति
9.	बड़े यानों से खतरा
10.	गलत साइड चालन से मौके पर हतोत्साहित करना
11.	दिखाई न देने वाले कोने
12.	मुड़ने से पहले सिग्नल देना
13.	अन्य यानों की स्थिति निर्धारित करना
14.	कहाँ रुकें और पार्क करें
15.	नियंत्रण बनाए रखना"।

(ख) उपनियम (6) में, "मोटर यान निरीक्षक के द्वारा ली परीक्षा" शब्दों के स्थान पर, "चालन क्षमता की परीक्षा" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 32, की सारणी में, क्रम संख्यांक 14, 14, 15 और 16 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"14.	द्विप्रतिक अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के संबंध में	चार सौ रूपए	18(4)	28(2)(ग)
15.	चालन में अनुदेश प्रदान करने वाले चालक प्रशिक्षण केंद्र को प्रत्यायन जारी करने के संबंध में।	पचास हजार	31(ख)	12
16.	चालन में अनुदेश प्रदान करने वाले चालक प्रशिक्षण केंद्र को प्रत्यायन की दूसरी प्रति जारी करने के संबंध में।	पन्द्रह हजार	31(घ)	12
17.	नियम 30 में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील के संबंध में।	बीस हजार	31(ङ)	12"।

[सं. आरटी-11036/137/2020-एमवीएल]

एस. पी. सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक 703(अ) तारीख, 14 सितंबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2022

G.S.R. 714(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, number G.S.R. 299 (E), dated the 18th April, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Official Gazette in which the said notification was published, were made available to the public on the 18th April, 2022;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers the conferred under section 27 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

- (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Sixteenth Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 11, -

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) Within seven days of submitting an application under rule 10, every applicant for a learner’s license shall complete a tutorial on safe driving, electronically on a Portal, either accessed by the applicant himself or with the help of a Facilitation Centre.”;

(b) in sub-rule (2), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

“(e) knowledge and understanding of fuel efficient driving technique;”.

3. In rule 14 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) An application for a driving license shall be made in Form 4 and shall be accompanied by-

(a) an effective learner’s license to drive the vehicle of the type to which the application relates;

(b) appropriate fee as specified in rule 32, for the test, or the subsequent test, as the case may be, of competence to drive for each class and for issue of licence;

(c) the applicant’s recent passport size photograph;

(d) save as otherwise provided in rule 6, a medical certificate in Form 1A in case of an application for license to drive a transport vehicle;

(e) in the case of an application for driving license to drive a transport vehicle, a driving certificate in Form 5 issued by the school or establishment from where the applicant received instruction, if any;

(f) proof of residence and age;

(g) certificate from Accredited Driver Training Centre in Form 5B as per rule 31E, if any.”.

4. In rule 31C of the said rules, after the words “may be renewed”, the words “, for a period of five years at a time,” shall be inserted.

5. In rule 31J of the said rules,-

(a) in sub-rule (1), after clause A relating to Light Motor Vehicle Driving, the following clause shall be inserted, namely:-

“AA. Two Wheeler Driving

The duration is 20 sessions in a span of maximum two weeks. It will be covered in two segments, Theory and Practical.

THEORY: 7 Sessions

Theory topics	Sessions
Driving theory	1
Traffic education	1
Basic vehicle engineering	1
First aid and Golden hour	1
Public relations, Road etiquette and road rage	1
Causes of accidents & case studies	1
Fuel efficiency and pollution	1

PRACTICAL: 13 Sessions

Topic	Sessions
Basic driving practice in Driving range	2
Skill driving practice in Driving range	2
Night driving in driving range	1
Low traffic practice on Public road	2
Single lane practice on public road	1
Two lane, no divider practice on public road, must have traffic signals and pedestrian crossings	1
Two lane, no divider practice on public road, must have traffic signals and pedestrian crossings	1
Practice on road with divider, irrespective of lane, but must have traffic signals and pedestrian crossings	1
Minor repairs and checks, replacement of flat tyre by Stepney	2

1. DRIVING THEORY

1.	Automobile and roads, types of Automobiles
2.	Risks to two wheeler rider
3.	Risks to pillion rider
4.	Risks to child/ children
5.	Mutual risk from other two wheeler rider
6.	Risk in driving in wrong direction/ in BRT/ in high-speed lane
7.	Risk in driving two wheeler without wearing helmet.
8.	Check the vehicle: Tyres, lights, seat, brakes, documents, fuel

2. TRAFFIC EDUCATION

1.	Road use regulations i.e. rules of the road
2.	Traffic signals
3.	Road signs and markings
4.	Parking safety: side stand, main stand
5.	Joining and leaving traffic
6.	Stop and go on incline
7.	Consideration to other road users

3. BASIC VEHICLE ENGINEERING

1.	Parts of the vehicle
2.	Carrying capacity: why not to carry material apart from specified persons
3.	Fuel safety in tanks
4.	Gearless/ clutchless design and geared/ clutched design

5.	Balance of the vehicle
6.	Headlight setting and beams
7.	Rear view mirror: vision area and blind area
8.	Front brakes, rear brakes, combination brakes
9.	Instrument cluster and use of information

4. FIRST AID and GOLDEN HOUR

1.	Loss of life
2.	Worsening of situation
3.	Call ambulance
4.	Note down vehicle numbers
5.	ABC of first aid
6.	Stopping blood loss

5. PUBLIC RELATIONS, ROAD ETIQUETTES and ROAD RAGE

1.	Keep cool
2.	Be careful from aggressive drivers
3.	Not to try to teach others
4.	Control of language
5.	Importance of word SORRY
6.	Addiction and alcoholism

6. CAUSES OF ACCIDENTS, CASE STUDIES

1.	Risk profile
2.	Why accidents are happening
3.	Share of vehicle class
4.	Basic defensive techniques
5.	Emphasis on speed control

7. FUEL EFFICIENCY and POLLUTION CONTROL

1.	Need of the hour
2.	Idling time
3.	Gear selection
4.	Timely servicing

8. PRACTICAL: ON DRIVING RANGE	
1.	Seating posture, helmet, documents
2.	Adjustments
3.	8 and Gradient
4.	Lane for 2 wheeler, 4 wheeler
5.	Bends
6.	Night driving
7.	Joining traffic and leaving traffic
8.	Braking techniques
9.	Braking stability
10.	Minor repairs, checks and replacement of punctured tyre

9. Practical on Public roads	
1.	Observing mirror
2.	Following distance
3.	Eye on stray animals
4.	Braking smoothly
5.	Braking with ABS
6.	Braking without ABS
7.	Night driving
8.	Road condition
9.	Risk from big vehicles
10.	Discouraging ON THE SPOT from wrong side driving
11.	Blind corners
12.	Signalling before turning
13.	Positioning wrt other vehicles
14.	Where to stop and park
15.	Maintaining control.”;

(b) in sub-rule (6), for the words “Motor Vehicle Inspector's Test”, the words “Test of competence to drive” shall be substituted.

6. In rule 32 of the said rules, in the table, for the Serial Numbers 14, 14, 15 and 16 and the entries relating thereto, the following Serial Numbers and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“14.	Issue of duplicate license	Four Hundred Rupees	18(4)	28(2)(c)
15.	Issue of accreditation to a driver training center for imparting instructions in driving.	Fifty Thousand	31(B)	12

16.	Issue of duplicate accreditation to a driver training center imparting instructions in driving.	Fifteen Thousand	31(D)	12
17.	In respect of an appeal against the orders of licensing authority referred to in rule 30.	Twenty Thousand	31(I)	12".

[No. RT-11036/137/2020-MVL]

S.P. SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E) dated the 2nd June 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 703(E), dated the 14th September, 2022.